

संघिका संख्या - 15/डी0 एल0 ए0 दरभंगा (रा0 उ0 प0 सं0-88) - 104/2012 - 46/रा०

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

और घोषणा

संख्या एस0 ओ0.....रा0।

पटना दिनांक - 08-01-13.

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-फैजुल्लाहपुर परगना धरौर, थाना-घनश्यामपुर, थाना नं0 393 जिला-दरभंगा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात्-एस0एच0-88 वरूणापुल (एन0एच0-103) से रसियारी पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव फैजुल्लाहपुर के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.055 एकड़ के बराबर होता है, और जिसमें 0.055 एकड़ कृषि योग्य है। ली जानी वाली भूमि का खेसरा नं0-निम्नलिखित है एवं जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है।

अंश खेसरा = 956, 957, 958

पूर्ण खेसरा - X

चौहद्दी :-

उ0 - अंश खे0 नं0-956, 957, 958

द0 - सीमाने सलहपुर लगमा

पू0 - सीमाने रसियारी

प0 - सीमाने घनश्यामपुर

यह घोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा-6 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम, 11,1961 एवं भू-अर्जन संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिनका इनसे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

Xup
3/10/12
अमीन,

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
दरभंगा।

18.10.12
अपर समाहर्ता,
दरभंगा।

8/10/12
समाहर्ता,
दरभंगा।

उप
उप सचिव,
बिहार सरकार।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

दि०-०८-०१-१३

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, दरभंगा को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/समाहर्ता, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

SW
21/13
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।